उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6
संख्या-702 /आठ-6-2011-2 गठन/10
लखनऊः दिनांकः 01 मार्च 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973(उ0प्र0 अधिनियम सं0 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनःअधिनियमित, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11,1973) की धारा-3 के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास क्षेत्र घोषित करने विषयक शासन की अधिसूचना संख्या-738(1)/सैतीस-2--47 डीए/76, दिनांक 09 मार्च 1977 में आंशिक संशोधन करते हुये उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची के क्रमांक-1 एवं 2 के ग्रामों को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-622/आठ-6-11 दिनांक 01 मार्च 2011 द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने हेतु हापुड-पिलखुआ विकास प्राधिकरण से पृथक किया गया है को, क्रमांक-3,4,5 व 6 पर अंकित ग्रामों को औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-176/77-4-11-214 भा/05 दिनांक 21 फरवरी 2011 द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु बृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से अपवर्जित किया गया है को, तथा क्रमांक-7 8 एवं 9 तक के ग्राम जो किसी भी विकास क्षेत्र में सम्मिलित नही है, को भी गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं:-

अनुसूची

जनपद का नाम	ग्राम का नाम
गाजियाद	1-गालन्द फाजलपुरनगर
	2-पिपलेहडा
	3-रघुनाथपुर (नहर के पूर्वी भाग का आंशिक भाग)
	4-दीनानाथपुर पट्टी
	5- सादिकपुर छिडौली
	6- शेखुपर खिचरा
	7-इनायतपुर
	8-हसनपुर
	9-आरिफपुर

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

2-

<u>संख्या-702 (1)/आठ-6-11, दिनांक</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक मार्च के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ शासन को तथा 5–5 प्रतियॉ नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें।

/

(शम्भूनाथ)
उप सचिव।

<u>संख्या-702 (1)/आठ-6-11, दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2- उपाध्यक्ष, हापुड-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड।
3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
5- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
6- औद्योगिक विकास अनुभाग-4
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शम्भू नाथ)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6
संख्या-622/आठ-6-2011-2 गठन/10
लखनऊः दिनांकः 01 मार्च 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973(उ0प्र0 अधिनियम सं0 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनःअधिनियमित, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11,1973) की धारा-3 के अन्तर्गत हापुड-पिलखुआ विकास क्षेत्र घोषित करने विषयक शासन की अधिसूचना संख्या-311/9-आ-5-98-997 डी.ए./89 दिनांक 17 मार्च 1998 का परिस्कार संशोधित करते हुये उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु ग्राम पिपलेहडा एवं गालन्द फाजलपुरनगर को हापुड़-पिलखुआ विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने की घोषणा करते है।

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-622(1)/आठ-6-11, दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक मार्च के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ शासन को भेजने तथा 5–5 प्रतियॉ नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें।

(शम्भू नाथ)
उप सचिव।

संख्या-622 (1)/आठ-6-11, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2- उपाध्यक्ष, हापुड-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड।
3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
5- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(शम्भू नाथ)
उप सचिव।